न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 65/017 तारीख रजू 7.9.2017

1 फतेहसिह } पिसरान रामजीलाल जाति जाट निवासी भंगो तहसील हिण्डौनसिटी
2 टीकम }
:—अपीलान्टस

बनाम

1. अमरसिह }
2 गोपाल } पिसरान कुन्दन } जाति जाट निवासी भंगो तहसील हिण्डौन जिला करौली
3 जगमोहन }
4 बनेसिह पुत्र रधुपत
5 महेन्द्र } पिसरान टटेरी
6 रामनिवास }
7 तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली — रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 192/2016 नामान्तकरण सीरियल नम्बर 0985657 द्वारा तहसीलदार भूअभिलेख हिण्डौन सिटी अन्तर्गत न्याय आपके द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान 2016

निर्णय दिनांक 28.08.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है। कि अपीलान्ट की ओर से वकील अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 192 दिनांक 26.05.2016 से नाखुश होकर बताया गया है कि न्याय आपके द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान मे तत्कालीन अधिकारियो ने अपीलान्ट को बिना सुने ही नामान्तकरण का निस्तारण कर दिया गया है जबकि खसरा नम्बर 147 रकवा 1.20 है0 अपीलान्ट के ताउ रामसिह पुत्र छीतर जाति जाट निवासी भंगो के नाम 1/2 खातेदारी मे था इस भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा बुजुर्गान के समय से चला आ रहा है अपीलान्ट के ताउ की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त जमीन मे रेस्पोडेन्ट को बटबारा करके हिस्सा दे दिया गया है रेस्पोडेन्ट 1 ता 6 जाली वारिसान है अन्त मे अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुये नामान्तकरण संख्या 192 निर्णय दिनांक 26.5.2016 को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलव किया गया जो जरिये वकालान्तन उपस्थित आया।

आज दिनांक को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक उपस्थित नही है फिर भी प्रकरण का निस्तारण मैरिट पर निम्न प्रकार से किया जा रहा है।

किसे को भी स्वामिस्त के अधिकार प्राप्त नही होकर मात्र लगान तय किया जाता है। यह नामान्तकरण दावा डिक्री से भरा गया है। दावा डिक्री जो न्यायायल के आदेश से है। जिसके विरूद्व अपील न्यायालय मे ही इसके विरूद्व अपील करनी चाहिऐ थी। इस न्यायालय को न्यायालय के निर्णय व डिक्री आदेश की खिलाफ नामान्तकरण दर्ज होने पर इस नामान्तकरण की अपील सुनने का अधिकार नही है। अपीलान्ट दावा मे हुए निर्णय डिक्री के खिलाफ सक्षम न्यायालय मे चाराजोई करने को स्वतंत्र है। यह अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नही आती है। अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नही

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 192 निर्णय दिनांक 23.05.2016 बाके ग्राम भंगो तहसील हिण्डौन की सारहीन,तथ्यहीन होने के कारण खारिज की जाति है।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति0 जिला कलक्टर
करौली